समझौता ज्ञापन

आज दिनांक 23 सितंबर 2022 को देवनागरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुलावठी, बुलंदशहर तथा ए0के0पी0 (पी0जी0) कॉलेज, खुर्जा (बुलंदशहर) के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

प्रो. योगेश कुमार
प्राचार्य
देवनागरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गुलावठी, बुलंदशहर

प्रो. डिम्पल विज
प्राचार्या
ए0के0पी0 (पी0जी0) कॉलेज
खुर्जा (बुलंदशहर)

आर्य कन्या पाठशाला स्नातकोत्तर कॉलेज, खुर्जा (बुलंदशहर)
तथा
देवनागरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुलावठी, (बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश)
के मध्य
समझौता ज्ञापन

उद्देश्य-

समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों संस्थाओं के मध्य विशेषज्ञताओं का आदान प्रदान करना तथा शैक्षणिक गुणवत्ता का उन्नयन करना है।

सहयोग के क्षेत्र-

दोनों संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले व्याख्यान, फैकल्टी डेवेलपमेंट प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कशॉप, सिम्पोजियम, विमर्श आदि ऑनलाइन कार्यक्रमों का साझा आयोजन तथा सहयोग करना।

मानविकी, विज्ञान, साहित्य तथा अन्य संकायों में अंतर्विषयक शोध को बढ़ावा देने के लिए संकायों तथा प्राध्यापकों के मध्य साझा प्रयास करना।

नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित किए जा रहे स्नातक तथा परास्नातक स्तर के कार्यक्रमों को लागू करने के बारे में विश्वविद्यालय की विशेषज्ञता को महाविद्यालय में लागू करना।

नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संबंध में विशेषज्ञता का आदान प्रदान करना।

विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परियोजना कार्य, डेसर्टेशन तथा शोधपत्र आदि के लिए साझा सहयोग विकसित करना।

नैक मूल्यांकन हेतु कार्यक्रमों, एजेंडा, बेस्ट प्रेक्टिसेस तथा विभिन्न प्रपत्रों के फॉरमेट आदि साझा करना।

दोनों संस्थान अपने यहाँ अकेडमिक एवं प्रशासनिक ऑडिट(AAA) के लिए वाह्य सदस्य चुन सकेंगे।

सहयोग का प्रकार-

दोनों संस्थाओं के प्राध्यापक तथा शिक्षार्थी एक दूसरे के यहां शैक्षणिक भ्रमण कर सकेंगे। दोनों संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से ऑनलाइन तथा ऑफलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा।

स्नातक तथा परास्नातक स्तर के विद्यार्थी ज्ञानार्जन के लिए एक दूसरे महाविद्यालय में जा सकेंगे।

वित्तीय दायित्व-

किसी भी कार्यक्रम/आयोजन के प्रस्ताव के समय ही वित्तीय दायित्वों के निर्धारण के बारे में विचार कर लिया जाएगा। संस्थानों द्वारा किया जाने वाला वित्तीय सहयोग पूर्णतया स्वैच्छिक होगा तथा यह किसी भी दूसरे पक्ष पर बाध्यकारी नहीं होगा।

अवधि-

दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित होने के दिन से यह समझौता ज्ञापन पाँच वर्षों की अवधि के लिए किया जा रहा है। इसके पूर्व यह किसी भी पक्ष द्वारा तीस दिन की पूर्व सूचना द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

23.9.2022

23/09/2022

समन्वयक-

दोनों पक्ष अपने अपने संस्थान से एक समन्वयक नामित करेंगे जो इस समझौता ज्ञापन के लागू करने के बारे में उत्तरदायी होगा।

बौद्धिक संपदा अधिकार-

दोनों संस्थानों के साझा सहयोग से प्राप्त बौद्धिक संपदा पर दोनों संस्थानों का साझा अधिकार रहेगा।

हस्ताक्षर-

यह समझौता दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्य /प्राचार्या के द्वारा किया गया है। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन सांझा करने के साथ ही एमओयू प्रभावशील समझा जाएगा।

23-9-2022

प्रो0 डिम्पल विज
प्राचार्या
ए0के0पी0 (पी0जी0) कॉलेज
खुर्जा (बुलंदशहर)

23/09/2022

प्रो0 योगेश कुमार
(प्राचार्य)
देवनागरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
गुलावठी, (बुलंदशहर)